

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 13 जनवरी, 2017

विषयः: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद कन्नौज की द्वितीय पुनरीक्षित सीवरज योजना फेज-1 के निर्माण हेतु ₹0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), 30प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-215/नागर-2/033-0304/15 दिनांक 26.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज की द्वितीय पुनरीक्षित सीवरज योजना फेज-1 के निर्माण हेतु पुनरीक्षित/निर्धारित लागत ₹0 4672.40 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-325/2015-4753/नौ-5-15-84बजट/2015 दिनांक 23.10.2015 के अनुक्रम में परियोजना की लागत में हुई वृद्धि ₹0 2409.16 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹0 350.00 लाख का व्यय हो जाने के आलोक में ₹0 200.00 लाख (₹0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों / विवरण के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

परियोजना की मूल लागत।	परियोजना की प्रथम पुनरीक्षित लागत।	परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत।	परियोजना की लागत में वृद्धि	परियोजना की लागत में हुई वृद्धि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	कुल अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1229.35	2263.24	4672.40	2409.16	350.00	2059.16	200.00

- (1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी /उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) शासनादेश संख्या-325/2015-4753/नौ-5-15-84बजट/2015 दिनांक 23.10.2015 द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- (3) प्रायोजना का रक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (8) कार्यों की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं /नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उपग्रो व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सूचक कार्यों हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय



(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 30 /2017-94/नौ-5-17-84बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशर:-

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/कन्नौज।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 7- मुख्य अभियंता (का0क्ष0), 30प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम, कन्नौज ।
- 9- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, 30प्र0 जल निगम, कन्नौज
- 9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से



(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-13/01/2017

प्रेषण संख्या:- 30
आवंटन आदेश संख्या:- 001-30-2017-94-9-5-17-84B-2015
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 144558000	20000000 144558000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20000000 144558000	20000000 144558000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ पैंतालीस लाख अठ्ठावन हजार


(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी